अपना पटना

अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम तीन महीने में लागू करें : मीणा

पटना स्थित मुख्य सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह व गृह के अपर मुख्य सचिव अरविन्द चौधरी।

- रेरा बिहार की कार्यशाला में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने दिये निर्देश
- पटना नगर निगम को एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस देने को कहा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो । मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने अपार्टमेंट ऑनरशिप (स्वामित्व) अधिनियम तीन माह के अंदर अधिसूचित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इससे अपार्टमेंट में रह रहे फ्लैटमालिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

रेरा की ओर से मुख्य सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित कार्यशाला में उन्होंने ये निर्देश दिए। उन्होंने पटना नगर निगम को निर्देश दिया कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस पंद्रह दिनों के अंदर रेरा को उपलब्ध कराएं ताकि नक्शों की अद्यतन जानकारी रेरा को मिल सके। इससे प्रोजेक्ट के निबंधन में कम समय लगेगा। कार्यशाला में मौजूद अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रेरा बिहार की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई करें। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने रेरा के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीपीग्राम में प्राप्त शिकायतों को वाद के रूप में आवेदन देने के लिए दिशा-निर्देश देने वाला यह पहला प्राधिकरण है। प्रमोटरों एवं प्रोजेक्ट की रैंकिंग की जा रही है। तकनीक आधारित सर्वे से अधिनियम का उलंघन करने वालों की पहचान की जा रही है।

इस दौरान गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द चौधरी, जेल आईजी प्रणव कुमार सहित नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग, विधि विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी एवं रेरा बिहार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।